

• छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के धारा 21 के अधीन स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने हेतु आवेदन प्रारूप-6

प्रारूप-छः
(नियम 10 देखिये)

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा-21 के अधीन स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने या विक्रय, दान आ अन्यथा के लिये अनुज्ञा चाहने हेतु आवेदन

1. सोसायटी का नाम तथा पूरा पता
2. सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख
3. सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति की पूर्ण विशिष्टियाँ
4. अर्जित/क्रय/दान/अंतरण/विक्रय की जाने वाली या
अन्यथा स्थावर सम्पत्ति की खसरा, क्रमांक, नक्शा
स्वामित्व के प्रमाण पत्र आदि के साथ पूर्ण विशिष्टियाँ
5. स्थावर सम्पत्ति के विक्रय/क्रय या अन्यथा
अंतरण या सोसायटी के उद्देश्यों से भिन्न
संपत्ति के उपयोग का कारण
6. संपत्ति के क्रेता या विक्रेता का पूरा नाम
तथा पता
7. स्थानीय सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा
स्थायी संपत्ति के मूल्य की युक्तियुक्तता
प्रमाण पत्र
8. स्थावर संपत्ति का क्रय/विक्रय या अंतरण करने
के लिये सोसायटी के नियमों तथा विनियमों
के अनुसार कार्यवृत्त (संकल्प) की प्रतियाँ
9. यदि विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जनजाति का हो, तो
इस संबंध में कलेक्टर का आदेश संलग्न करें
10. अन्य कोई जानकारी, यदि कोई हो (जैसे कि
निधियों के स्रोत आदि)
11. स्थावर संपत्ति क्रय, विक्रय, अंतरण आदि के
लिये अनुज्ञा फीस रुपये रसीद/चालान
क्रमांक.....तारीखी..... द्वारा
जमा की गई है, चालान की मूल प्रति संलग्न है।

.....
अध्यक्ष के नाम एवं हस्ताक्षर